August 16 , 1975
Sravana 25 , 1897

# ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the president hereby makes the following further amendments to the Government of India(Transaction of Business) Rules, 1961, namely:-

In the Second Schedule to the said Rules, -

(i) to entry (d), the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that Cultural Agreements and Agreements on Science and Technology which are duly approved by the Minister concerned and the Foreign Minister may only be circulated to the Cabinet for information.";

(ii) in entry (h), for item (v), the following item shall be substituted, namely:-

"(v) expansion of existing schemes or establishing of new schemes or new lines of production by any State-owned public corporation, company, enterprise or project where such expansion or establishing involves -

(1) a capital outlay of not less than five crore rupees; or

(2) a capital outlay of not less than twenty-five per cent of the "Gross Block" of such corporation, company, enterprise or project and the total quantum of investment is not less than one crore rupees.";

(iii) for entry (i), the following entry shall be substituted, namely:-

"(i) Proposals relating to creation of posts carrying pay exceeding three thousand rupees per month.".

F.A. AHMED
PRESIDENT

16 अगस्त, 1975
25 श्रावण, 1897

## आदेश

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-करण) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में, ——

(i) प्रविष्टि (घ) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु वे सांस्कृतिक करार और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी करार, जिनको संबंधित मंत्री और विदेश मंत्री सम्यक् रूप से अनुमोदित कर दें, मन्त्रिमंडल को केवल सूचनार्थ परिचालित किये जाएं ।";

(ii) प्रविष्टि (ज) में, मद (v) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(v) किसी भी राज्य-स्वामित्वाधीन लोक निगम, कंपनी, उद्यम या परियोजना द्वारा वर्तमान स्कीमों का विस्तार अथवा नई स्कीमों अथवा उत्पादन की नई पद्धतियों की स्थापना, जहां इस प्रकार के विस्तार या स्थापना में निम्नलिखित अन्तर्वलित हों :-

(1) पांच करोड़ रुपये से अन्यून पूंजी की लागत ; अथवा

(2) ऐसे निगम, कंपनी, उद्यम या परियोजना के "सकल ब्लाक" के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून पूंजी की लागत और विनिधान की कुल मात्रा एक करोड़ रुपये से कम नहीं ।";

(iii) प्रविष्टि (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(झ) तीन हजार रुपये प्रति मास से अधिक वेतन वाले पदों के सृजन से संबंधित प्रस्थापनाएं ।"

फखरुद्दीन अली अहमद
राष्ट्रपति